न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 31/2017
प्रविष्टि दिनांक 20-3-2017

नूरका पुत्री श्योनारायण जाति कंजर निवासी सोप, तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरुद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 31—1—2017

उपस्थिति : (1) श्री भजनलाल सेनी अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 7—12—2020**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 31—1—2017 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.03 है0 (300वर्गमीटर) भूमि वाके ग्राम सोप पर मकान व बाड़ा बना कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 3000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट के उक्त भूमि पर काफी पुराने समय से मौके पर मकान बने हुए हैं। अपीलान्ट अनुसूचित जाति की महिला है उक्त भूमि का नियमन/पट्टा दिया जाना न्यायसंगत है। अपीलान्ट इस भूमि पर बने हुए मकान में अपने परिवार सहित निवास करती चली आ रही है। अपीलान्ट ने कोई नया कब्जा नही किया है पटवारी हल्का ने दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट के विरुद्ध कब्जे बाबत गलत रूप से रिपोर्ट की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:03:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट ने पक्का मकान व बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं0 399/15 निर्णय दिनांक 1–10–2015 से बेदखल किया गया था एंव पूनः पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने की आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुई है किन्तु उनके द्वारा अपने बचाव पक्ष व भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध मे साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 2109 रकबा 0.03 है0 वाके ग्राम सोप तहसील उनियारा पर बाड़ा व मकान बनाकर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 399/15 निर्णय दिनांक 1–10–2015 से बेदखल किया जाना जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है एंव अपीलन्ट ने स्वंय अपील प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि पर कब्जा कर मकान व बाड़ा बनाना स्वीकार किया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने की आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 31–1–2017 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलाण्ट 21 दिवस की अवधि में अपना कब्जा हटा कर एक शपथ पत्र तथा नायब तहसीलदार सोप के न्यायालय में प्रस्तुत करें कि उसने अपना कब्जा हटा लिया है ओर नायब तहसीलदार यह सुनिश्चित करले की अपीलाण्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7–12–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:03:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner